विश्वास का कार्य

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

27 दिसम्बर, 2021

धर्मांतरण रोकने के नाम पर कर्नाटक को प्रतिगामी कानून नहीं अपनाना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक उन राज्यों के समूह में शामिल हो गया है जो गैर-कानूनी धर्मांतरण को रोकने के नाम पर नागरिकों के निजी जीवन और विश्वासों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रतिगामी कानून बनाना चाहते हैं। विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021 को विधान परिषद में पेश नहीं किया गया है, संभवत: उच्च सदन में सत्तारूढ़ दल की ताकत बाद में अनुकूल होने की प्रत्याशा में।

जबकि कई राज्यों में ऐसे कानून हैं जो बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण को अपराध मानते हैं, उनकी प्रवृत्ति 'विवाह' को धर्मांतरण के अवैध साधन के रूप में शामिल करने की रही है।

कर्नाटक ने भी अब 'विवाह के वादे' को गैर-कानूनी धर्मांतरण का जरिया बना लिया है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह मानने का विचार कि अंतर-धार्मिक विवाह के साथ-साथ धर्मांतरण हुआ है या होने वाला है, स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है क्योंकि यह निजता के अधिकार, वैवाहिक स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।

कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को जो चीज काफी भयावह बनाती है, वह यह है कि विधायिका में इसका परिचय चर्चों, ईसाई प्रार्थनाओं और क्रिसमस समारोहों पर लक्षित हमलों की एक श्रृंखला के समानांतर चल रहा है। जुझारू दक्षिणपंथी समूह मैदान में हैं, जो यह धारणा बनाने के लिए एक एजेंडा प्रतीत होता है कि धार्मिक रूपांतरण बड़े पैमाने पर है और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्काल विधायी कार्रवाई आवश्यक है। धर्मांतरण विरोधी कानूनों को अतीत में अदालतों द्वारा इस आधार पर बरकरार रखा गया है कि प्रलोभन, बल या धोखाधड़ी से धर्मांतरण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एकमात्र खतरा सामाजिक कलह पैदा करने के लिए उग्र समूहों से उत्पन्न होता है।

यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धर्म के प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, और राज्य धोखाधड़ी, बल या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना सकता है।

हालांकि, अंतर-धार्मिक विवाहों को रोकने हेतु कानून बनाने के लिए इस कानूनी स्थिति का उपयोग करने के खिलाफ एक पुशबैक में, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के एक कानून के प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिसने 'विवाह से' धर्मांतरण को अपराध बना दिया है कि इसने दो अलग-अलग धर्मों के लोगों के सभी विवाहों को खतरे में डाल दिया।

धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कर्नाटक के इस विधेयक में पूर्व सूचना की आवश्यकता के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2012 में इसी तरह के एक प्रावधान को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि किसी को अपने विश्वास को बदलने के लिए योजनाओं का खुलासा करने के लिए कहना किसी के अधिकार का उल्लंघन है।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों को केवल जबरन या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन को ही लक्षित करना चाहिए और गंभीर दुरुपयोग के लिए खुला नहीं होना चाहिए; ऐसे प्रावधानों के लिए कोई जगह नहीं है जो परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को वैध विवाह में बाधा डालने के लिए पुलिस में शिकायत करने की अनुमति देते हैं। इस तरह के कानून समाज को प्रतिगामी मध्ययुगीनता में डुबो देंगे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में किस राज्य के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून विधानसभा में पास किया गया है?

(क) महाराष्ट्र

(ख) गुजरात

(ग) हरियाणा

(घ) कर्नाटक

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Which state has recently passed the anti-conversion law in the assembly?

(a) Maharashtra

(b) Gujarat

(c) Haryana

(d) Karnataka

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021 को पारित किया है। इस प्रकार के विधेयक किस प्रकार से मौलिक अधिकारों और आधुनिकता के विरोधी होते हैं? चर्चा करें। (250 शब्द)

Q. Recently the Karnataka Legislative Assembly has passed the Right to Freedom of Religion Bill, 2021. How are such bills against the fundamental rights and modernity? Discuss.

(250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।